न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 07 / 2021

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
अनोपसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रोहिड़ा पाड़ा, मोडली डूंगरी के पास, तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.01.2021 जो प्रकरण सं. 01 / 2021 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.02.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 01 / 2021 सरकार बनाम अनोपसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का बाड़मेर शहर द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 3152 / 1589 रकबा 22–00 बीघा किस्म गैर मुमकीन पहाड़ सरकारी भूमि मे से 2000 वर्गगज भूमि पर गैर सायल अनोपसिंह पुत्र जसवंतसिंह, कौम राजपुरोहित, नि0 रोहिड़ा पाड़ा गडरा रोड़ बाड़मेर नि0 लंगेरा द्वारा पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। वक्त पेशी गैर सायल की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने लिये अतिक्रमी घोषित कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 के द्वारा 03.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने के साथ विवादित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 04.02.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी । अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह [illegible]ट किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट [illegible] नोटिस तामील होने पर अपीलांट जरिये अधिवक्ता न्यायालय में ह[illegible]र हुआ तथा जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

आगामी सुनवाई हेतु दिनांक निश्चित की गई किन्तु आगामी पेशी पर बिना अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। विवादित परिसर पर अपीलांट का रहवासीय पक्का मकान बना हुआ हैं तथा विधिवत रूप से नगर परिषद बाड़मेर में अपीलांट ने रूपये 61711/– रसीद संख्य 64730 दिनांक 11.02.2013 प्राप्त कर भूमि नियमन की गई हैं तथा नियमन पत्रावली सं. 847/2012 में विधिवत् रूप से पट्टा दिनांक 11.02.2013 को जारी किया गया हैं। नगर परिषद बाड़मेर द्वारा अपीलांट के पक्ष में जारी उक्त पट्टा उप पंजीयक क़ार्यालय बाड़मेर में दिनांक 08.03.2013 को पंजीबद्ध किया जा चुका हैं। अपीलांट द्वारा उक्त भूखण्ड पर आवासीय पट्टा प्राप्त करने पश्चात नियमों की पालना करते हुए नगर परिषद बाड़मेर मे भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद बाड़मेर ने आवेदन पर पत्रावली सं. 165/2013 कायम कर विधिक कार्यवाही उपरांत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 27.06.2013 को भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई । नगर परिषद बाड़मेर से भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु पुनः नगर परिषद बाड़मेर से अनापति चाही गई जो अनापति प्रमाण–पत्र सं. 15655 दिनांक 29.04.2013 को जारी किया गया। ग्राम बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 3156/1589 व 3152/1589 पास–पास स्थित हैं जिसके मध्य आबादी बस चुकी हैं, ऐसी स्थिति में उक्त खसरों की जरीब चलाकर पैमाईश की जाना संभव नहीं हैं। तहसीलदार बाड़मेर ने बिना पैमाईश किये ही अपीलांट के उक्त आवासीय कब्जाशुदा परिसर को खसरा नम्बर 3152/1589 गैर मुमकीन पहाड़ की भूमि में अवस्थित होना प्रकट कर बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन कार्यवाही संस्थित की गई तथा किसी प्रकार की साक्ष्य को रेकर्ड पर नहीं लिया गया हैं। इसके विपरित अपीलांट के पक्ष में विधिक रूप से कब्जा होने के सम्पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त समस्त साक्ष्यों को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 3152/1589 किस्म गैर मुमकीन पहाड़ सरकारी भूमि मे से 2000 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान निर्माण कर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ किन्तु प्रतिरक्षण हेतु जवाब/साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किये, जबकि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट ने सरकारी गैर मुमकीन पहाड़ की भूमि पर निकटतम आबादी भूमि की आड़ में अतिक्रमण कर कब्जा–काश्त करने पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही विवादित भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, तथा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं। लिहाजा अपीलांट की यह अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावे।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा नगर परिषद बाड़मेर के द्वारा आवासीय पट्टा अन्तर्गत भूमि पर कब्जा होना प्रकट किया है किन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई पैमाईश रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिससे यह साबित हों, कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3152/1589 ... की भूमि नहीं हैं। तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने जिस भूखण्ड का पट्टा प्राप्त किया गया हैं उसकी अवस्थिति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishu Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भिन्न गैर मुमकीन पहाड़ की भूमि पर अतिक्रण किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट नगर परिषद बाड़मेर से प्राप्त आवासीय पट्टा की आड़ में पट्टा से भिन्न अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने पर उसके विरूद्ध जो अपीलाधीन कार्यवाही की गई हैं उसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती हैं। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु जारी नोटिस अपीलांट की जानकारी में आने पर न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ हैं किन्तु प्रतिरक्षण स्वरूप जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन विधि के प्रावधानों के समक्ष कतई क्षम्य एवं सुसंगत प्रतिरक्षण का आधार नही हो सकता हैं। यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested